विश्व मामलों की भारतीय परिषद
सप्रू हाउस, बाराखंबा रोड
नई दिल्ली

ई-सूचना

परिषद की वर्चुअल बैठकें / वेबिनार आयोजित करने हेतु सेवाएं प्रदान करने के लिए एजेंसी के चयन की निविदा हेतु आमंत्रण

निविदा
सं.आईसीडब्ल्यूए/आईटी/885/04/2020 **दिनांक : 22-10-2020**

महत्वपूर्ण तिथियाँ	
प्रकाशन तिथि	22-10-2020
बोली दस्तावेज़ डाउनलोड आरंभ होने की तिथि	22-10-2020
स्पष्टीकरण आरम्भ करने की तिथि	22-10-2020
स्पष्टीकरण देने की अंतिम तिथि	30-10-2020
बोली जमा करने की आरम्भ तिथि	31-10-2020
बोली जमा करने की अंतिम तिथि	13-11-2020
तकनीकी बोली खोलने की तिथि	16-11-2020

बोलियां केवल सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट की वेबसाइट पर ऑनलाइन जमा की जाएंगी: https://eprocure.gov.in/eprocure/app

इच्छुक पक्ष और अधिक मार्गदर्शन के लिए ईमेल ddgoffice@icwa.in , सीसी us@icwa.in के माध्यम से उप महानिदेशक से संपर्क कर सकते हैं,

(सोनी दहिया)
अवर सचिव
विश्व मामलों की भारतीय परिषद
सप्रू हाउस, नई दिल्ली- 110001
दूरभाष: 23753615
ईमेल आईडी: us@icwa.in

परिषद की वर्चुअल बैठकें / वेबिनार आयोजित करने हेतु सेवाएं प्रदान करने के लिए एजेंसी के चयन की निविदा हेतु आमंत्रण

(क) 1. विश्व मामलों की भारतीय परिषद (आईसीडब्ल्यूए), राष्ट्रीय महत्व की एक संस्था है, जो भारत की विदेश नीति और सुरक्षा मामलों तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विशेषज्ञता वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रबुद्ध संस्थान है। परिषद का मुख्य उद्देश्य अध्ययन, शोध, चर्चा, व्याख्यान के माध्यम से अन्य देशों के साथ भारत के संबंधों को बढ़ावा देना है ।

2. प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में सीपीपी पोर्टल https://eprocure.gov.in/eprocure/app पर प्रस्तुत करने होंगें।

3. **वैधता और अनुबंध का विस्तार:** एजेंसी का चयन शुरूआत में एक वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा जो मौजूदा शर्तों और संबंधित एजेंसियों की लिखित सहमति से परिषद के विवेकाधिकार पर एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

4. दो बोली प्रणाली (तकनीकी और वित्तीय बोलियां) का पालन किया जाएगा। तकनीकी निविदाएं 16 नवंबर, 2020 को अवर सचिव, विश्व मामलों की भारतीय परिषद कार्यालय, नई दिल्ली में उन निविदाकारों की उपस्थिति में खोली जाएंगी जो उस समय उपस्थित होने के इच्छुक हैं। तकनीकी मूल्यांकन समिति तकनीकी बोली / प्रस्तुति का मूल्यांकन करेगी ।

(ख) न्यूनतम पात्रता मानदंड:

i निविदा पत्र के साथ 10,000 / - (दस हजार रुपये मात्र) बयाना राशि (ईएमडी) "भारतीय मामलों की परिषद" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में नई दिल्ली को भेजी जानी चाहिए। बयाना राशि के बिना प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। अन्य असफल निविदाओं से प्राप्त बयाना राशि मांगने पर बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी।

ii एजेंसी कंपनी रजिस्ट्रार से पंजीकृत होनी चाहिए और इसके वैध पैन, जीएसटी पंजीकरण होने चाहिए।

iii किसी भी सरकारी विभाग द्वारा एजेंसी को न तो ब्लैकलिस्ट किया होना चाहिए और न ही भारत में कहीं भी फर्म या उसके मालिक या साझीदारों के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं होना चाहिए।

iv तकनीकी बोलियों को खोलकर पहले उनका मूल्यांकन किया जएगा। वित्तीय बोलियां केवल तकनीकी बोली के आधार पर सूचीबद्ध किए गए बोलीदाताओं के लिए खोली जाएंगी।

v अनुबंध के सफल समापन के बाद से ठेकेदारों की बकाया राशि के समायोजन के लिए ज़मानत राशि वापस कर दी जाएगी ।

vi यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस परिषद की किसी भी स्पष्ट सहमति के बिना मध्यावधि में ठेकेदार के काम से पीछे हटने के मामले में, फर्म / कंपनी इससे संबंधितों से उच्च दरों पर वसूली करने की अधिकारी होगी, जो वैकल्पिक माध्यम से अनुबंध की शेष अवधि के लिए इस परिषद द्वारा वसूल किया जाएगा।

vii पीछे हटने की उपरोक्त क्रिया से इस परिषद के साथ भविष्य में किसी भी कार्य से फर्म को स्वचालित रूप से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और बयाना राशि / कार्य गारंटी राशि भी जब्त कर ली जाएगी।

viii किसी भी मामले में अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।

ix केवल तकनीकी मूल्यांकन चरण में अर्हता प्राप्त करने वाली एजेंसियां ही वित्तीय बोली में भाग लेने की पात्र होंगी। वित्तीय बोली खोलने की तिथि और समय की सूचना बाद में दी जाएगी।

x बोलीदाता / एजेंसी उद्धरण दरों को निविदा दस्तावेज के साथ उपलब्ध कराई गई बीओक्यू शीट में उद्धृत किया जाना चाहिए। (अनुबंध II)

xi निविदा दस्तावेजों को जमा करने की अंतिम तिथि के बाद वितीय बोलियों में कोई बदलाव करने की अनुमति नहीं है।

(ग) बोलियां जमा करना:

बोलीदाताओं को सीपीपी पोर्टल पर अपनी बोलियां दो अलग-अलग भागों में अपलोड करनी होंगीं,अर्थात् :

क. <u>तकनीकी बोली</u>: बोली एजेंसियों को अनुबंध I में दिए गए विवरणानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने की होंगे । केवल न्यूनतम पात्रता मानदंड का अनुपालन करने वाली बोलियों को तकनीकी बोली में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।

ख. <u>वित्तीय बोली</u>: अनुबंध II में दिए गए प्रारूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

(घ) नियम एवं शर्तें:

1. समापन तिथि और समय के बाद प्राप्त की गई निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

2. परिषद अपने स्वविवेक से बोली जमा करने की अंतिम तिथि और समय बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

3. बोलीदाता / एजेंसी अपनी बोलियों की तैयारी और जमा करने से संबंधित सभी लागतों को वहन करेगा/करेगी और विश्व मामलों की भारतीय परिषद बोली प्रक्रिया के आयोजन या परिणाम पर ध्यान दिये बिना, इन व्ययों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि संविदात्मक समझौते के होने तक किसी भी प्रतिवादी और परिषद के बीच कोई संबंध नहीं होगा।
4. बोली 120 (एक सौ बीस) दिनों तक मान्य रहेगी। असाधारण परिस्थितियों में, बोलीदाता की सहमति से बोली वैधता की अवधि बढ़ाने के लिए लिखित रूप में अनुरोध किया जा सकता है। इस प्रकार के अनुरोध बोली की वैधता की समाप्ति से पहले किया जाना चाहिए। बोली प्रतिभूति को भी समुचित रूप से बढ़ाया जाएगा।

5. सभी आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने में विफलता के परिणामस्वरूप बोली को अस्वीकार किया जा सकता है।

6. निविदा के लिए आवेदन करने वाली एजेंसियां एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगी जिसमें लिखा होगा कि उनके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी सही है और वे परिषद के निर्णय का पालन करेंगी। यदि फर्म द्वारा प्रस्तुत जानकारी किसी भी प्रकार से फर्जी और / या गलत पायी जाती है, तो एजेंसी को निलंबित और / या प्रतिबंधित किया जा सकता है।

7. अनुबंध हेतु एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को कोई भी सूचना ई-मेल / पत्र द्वारा भेजी जाएगी और अनुबंध में उस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट पते पर लिखित रूप में पुष्टि की जाएगी।

8. तकनीकी मूल्यांकन में सहायता के लिए, बोली के मूल्यांकन के दौरान परिषद के पास किसी भी / सभी बोलीदाता / एजेंसी को किसी भी स्पष्टीकरण के लिए बुलाने का अधिकार सुरक्षित है। ऐसा स्पष्टीकरण केवल लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तथापि, बोलियों से संबंधित अन्य किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जाएगा।

9. इस बोली में भाग लेने का अर्थ यह माना जाएगा कि बोलीदाता ने इस बोली दस्तावेज के सभी नियमों और शर्तों और उसके बाद के संशोधनों, यदि कोई है, को स्वीकार कर लिया है।

10. परिषद को उस एजेंसी द्वारा सृजित / संपादित / उपलब्ध कराई गई सामग्री पर पूर्ण मालिकाना अधिकार होगा, जिसे इस निविदा के माध्यम से अनुबंध दिया गया है।

11. इस निविदा से संबंधित सभी मामलों में, परिषद का निर्णय अंतिम होगा और फर्म / एजेंसी के लिए बाध्यकारी होगा।

12. परिषद बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए कोई भी निविदा परिषद के से कोई कारण नहीं पूछेगा या उसके खिलाफ कोई दावा नहीं करेगा।

13. <u>भुगतान की शर्तें</u>:

क. उद्धृत मूल्य नियत रहेगा और विनिमय दर, शुल्क, कर आदि में बदलाव के अधीन नहीं होगा।

ख. जिस एजेंसी को अनुबंध दिया जाएगा, वह प्रत्येक कार्य पूरा होने के बाद बिल जमा करेगी।

ग. बोली प्रस्तुत करने वाली एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि उद्धृत की गई कीमतों / दरों में अनुबंध अवधि के दौरान कार्य निष्पादन और निरंतर निगरानी के लिए आवश्यक जनशक्ति का व्यय शामिल है। अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी शर्त में कोई भी बदलाव करने की अनुमति नहीं है। अनुबंध की अवधि के दौरान कीमतों में वृद्धि करने की अनुमति नहीं है । उद्धृत दरों के अतिरिक्त केवल लागू करों को लागू किया जाएगा।

14. एजेंसी को अपनी परियोजना दल के लिए सभी आवश्यक हार्डवेयर की खरीद करनी चाहिए और उन्हें उपलब्ध कराना चाहिए ताकि वे लक्ष्य कार्य को पूरा कर सकें।
15. कोई उप-अनुबंध नहीं**:** चयनित बोलीदाता / एजेंसी की किसी भी तीसरे पक्ष को किसी भी प्रकार से आउटसोर्सिंग के बिना समस्त कार्य को पूरा करने की क्षमता होनी चाहिए।

16. दरों और अन्य नियमों और शर्तों के लिए ऊपर उल्लिखित किसी भी प्रावधान के बावजूद, किसी भी प्रकार की असहमति होने आदि के मामले में, परिषद का निर्णय अंतिम और इस बोली में भाग लेने वाले सभी बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगा।

17. **बयाना राशि:** बोलीदाताओं को 10,000 / - रुपये (दस हजार रुपये मात्र) की **बयाना राशि (ईएमडी) "विश्व मामलों की भारतीय परिषद"** के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट नई दिल्ली में देय के रूप में भेजी जानी चाहिए।

18. अनुबंध देने के बाद असफल बोलीदाता की बोली प्रतिभूति उन्हें वापस कर दी जाएगी। निविदा के प्रयोजन हेतु विश्व मामलों की भारतीय परिषद के पास जमा बयाना राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।

19. निम्नलिखित कारणों में से एक या अधिक होने पर बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी:-

i) बोलीदाता बोली वैधता की अवधि के दौरान अपनी बोली को वापस लेता / संशोधित करता है।

ii) यदि चयनित बोलीदाता समय पर समझौते पर हस्ताक्षर करने और कार्य निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने में विफल रहता है।

21. एजेंसी को 24 x 7 आधार पर सेवाएं प्रदान करनी होंगी।

(ड.) <u>कार्य विवरण:</u>

एक सफल वेबिनार, बैठक, सम्मेलन के आयोजन के कार्य को पूरा करने के लिए, परिषद को वेबिनार, सम्मेलनों और बैठकों का संचालन करने के लिए निम्नलिखित सेवाओं की आवश्यकता होती है, जिनकी व्यवस्थित फर्म करेगी:

1. फर्म विश्व मामलों की भारतीय परिषद के परिसर में सभी आवश्यक उपकरणों (लैपटॉप, वाई-फाई राउटर, कैमरा, तार आदि) को स्थापित करेगी ताकि डिजिटल कार्यक्रमों (वेबिनार, सम्मेलनों और बैठकों, आदि) का संचालन किया जा सके;
2. उपस्थित लोगों के लिए कार्यक्रम पंजीकरण पृष्ठ / पोर्टल का सृजन;
3. पंजीकरण पर ईमेल और एसएमएस भेजना और कार्यक्रम के दिन भी पंजीकृत व्यक्तियों को अनुस्मारक ईमेल और एसएमएस भेजना;
4. फर्म बड़ी संख्या में एसएमएस और ईमेल भेजने के लिए गेटवे उपलब्ध कराएगी;
5. वेबिनार / बैठक हेतु मंच उपलब्ध कराना;
6. विश्व मामलों की भारतीय परिषद के लोगो और वक्ता के नामों और पदनामों के ग्राफिक ओवरले के साथ सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर संपूर्ण कार्यवाही का प्रसारण। (यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और परिषद की वेबसाइट);
7. पैनल सदस्यों / वक्ताओं के लिंक बनाना
8. पैनल सदस्यों / वक्ताओं/ उपस्थित व्यक्तियों के लिए निर्देश तैयार करना

9. प्रत्येक कार्यक्रम / बैठक / सम्मेलन आदि के लिए पैनल सदस्य की समय उपलब्धता के अनुसार प्रत्येक पैनल सदस्य / वक्ता के साथ पूर्व परीक्षण किया जाएगा।
10. पैनल सदस्य / वक्ता की कनेक्टिविटी / संचालन आदि से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या का समाधान फर्म द्वारा किया जाएगा;
11. पैनल सदस्यों / वक्ताओं के साथ काम करने वाले व्यक्ति को तकनीकी प्रक्रियाओं से भली-भांति परिचित होना चाहिए और हाई प्रोफाइल व्यक्तियों के साथ काम करने के लिए सुशिक्षित होना चाहिए;
12. परिषद परिसर में इंटरनेट विफल होने पर फर्म के पास अपना इंटरनेट बैकअप होना चाहिए।
13. फर्म को प्रत्येक कार्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग परिषद को उसी दिन देनी होगी और कार्यक्रम समाप्त होने पर तत्काल कार्यक्रम की तस्वीरें उपलब्ध करानी होंगी।
14. अल्प समय में सूचना प्राप्त होने पर उपलब्ध रहना (24 घंटे);
15. फर्म विश्व मामलों की भारतीय परिषद के लिए एक समर्पित संबंध प्रबंधक उपलब्ध कराएगी ।
16. फर्म / एजेंसी विश्व मामलों की भारतीय परिषद को प्रति कार्यक्रम के आधार पर बिल प्रस्तुत करेगी। बिलों का भुगतान केवल ऑनलाइन बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। सफल फर्म को परिषद को बैंक विवरण देना होगा।

(च) **<u>कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी</u>:** सफल बोलीदाता अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले 20,000 / - रु. (बीस हजार रुपये मात्र) की राशि के लिए अनुबंध के देय और निष्ठावान कार्य-निष्पादन के लिए कार्य-निष्पादन गारंटी देगा। कार्य-निष्पादन गारंटी संविदात्मक कार्यों के पूरा होने की तारीख से 60 दिनों की अवधि के लिए वैध होनी चाहिए। सफल बोलीदाता की बयाना धनराशि कार्य-निष्पादन गारंटी जमा करने के बाद वापस कर दी जाएगी।

अनुबंधित दर पर कार्य विवरण के अनुसार सभी उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं की आपूर्ति करने से <u>सफल बोलीदाता द्वारा मना करना या अक्षमता या देरी के</u> परिणामस्वरूप अनुबंध को समाप्त और कार्य-निष्पादन गारंटी (पीजी) को जब्त कर

लिया जाएगा और साथ ही बोलीदाता को भविष्य में निविदाओं में भाग लेने के लिए अयोग्य कर दिया जाएगा ।

(छ) **<u>समझौता विलेख</u>:** सफल बोलीदाता पीजी जमा करने की तारीख से 15 दिनों के भीतर अनुबंध पूरा करने के लिए 100 / -रुपये के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर एक समझौते तैयार करवाएगा। समझौते / अनुबंध के निष्पादन के आकस्मिक खर्च को सफल बोलीदाता वहन करेगा।

(ज) **<u>जुर्माना खंड</u>**:

1. यदि बोलीदाता वैधता अवधि से पहले अपनी बोली को वापस लेता है या उसमें बदलाव करता है, तो परिषद बयाना राशि को जब्त करने का फैसला ले सकती है और उसे भविष्य में होने वाली निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित कर सकती है।

2. यदि भविष्य में किसी भी समय यह पाया जाता है कि बोलीदाता ने ऐसी जानकारी प्रस्तुत की है जो तथ्यात्मक रूप से गलत है या यदि बोलीदाता किसी भी संविदात्मक कार्य को पूरा नहीं करता है, तो परिषद तत्काल प्रभाव से अनुबंध रद्द करने का निर्णय ले सकती है, और / या बोलीदाता से इस निविदा और भविष्य में होने वाली सभी अन्य निविदा प्रक्रियाओं में बोली लगाने पर परिषद निर्णय ले सकती है तथा आवश्यकतानुसार अन्य उचित कार्रवाई कर सकती है। परिषद स्व-विवेक / संतुष्टि के आधार पर अपने समय की अवधि के संबंध में जुर्माना लगा सकती है।

(झ) **<u>शासी कानून और क्षेत्राधिकार</u>**:

इसे भारत के कानूनों द्वारा माना और शासित किया जाएगा, और इसके पक्षकार दिल्ली न्यायालय के विशेष क्षेत्राधिकार में प्रस्तुत होंगे।

(ण) **<u>विवादों और मध्यस्थता का निपटान</u>**:

समझौते या उसकी विषय-वस्तु से उत्पन्न या उससे किसी भी प्रकार से संबंधित या प्रतिनिधियों के अधिकारों, पक्षों के कर्तव्यों या दायित्व के संबंध में उत्पन्न सभी विवादों, मतभेदों और प्रश्नों को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के तहत, आज की तिथि तक यथा संशोधित रूप में, एकमात्र मध्यस्थता के रूप में लिया जाएगा। पक्षकारों की सहमति से मध्यस्थता की कार्यवाही का समय बढ़ाने के लिए मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा।

(त) **<u>अप्रत्याशित घटना</u>**:

1. यदि अप्रत्याशित घटना के परिणामस्वरूप अनुबंध के तहत कार्य-निष्पादन में विलम्ब या कार्य करने में विफलता होती है तो परिषद जुर्माना लगाने और आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने में छूट देने पर विचार कर सकती है ।

2. यहाँ प्रयुक्त अप्रत्याशित घटना शब्द का अर्थ है कोई असम्भावित और अप्रतिरोध्य प्राकृतिक क्रिया, कोई युद्ध (घोषित हो या न हो), आक्रमण, क्रांति, विद्रोह, आतंकवाद, या समान प्रकृति या बल का कोई अन्य कार्य, बशर्ते कि ऐसी क्रियाएं ठेकेदार के नियंत्रण में नहीं हैं और इनमें उसकी कोई गलती नहीं है या उसकी लापरवाही के कारण उत्पन्न नहीं हुई हैं।

3. अप्रत्याशित घटना होने की स्थिति में और अप्रत्याशित घटना होने के का कोई भी कारण होने के बाद यथाशीघ्र, प्रभावित पक्ष दूसरे पक्ष को उस घटना या कारण की लिखित सूचना और पूर्ण विवरण देगा, यदि प्रभावित पक्ष अपने कार्य करने और अनुबंध के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में, पूर्णत: या आंशिक रूप से असमर्थ है।

4. प्रभावित पक्ष स्थिति में किसी भी अन्य परिवर्तन या किसी भी घटना की सूचना दूसरे पक्ष देगा जो उसे अनुबंध के तहत उसके कार्य में हस्तक्षेप कर रही है या कर सकती है। इस संबंध में आवश्यक सूचना या सूचनाएं प्राप्त होने पर, अप्रत्याशित घटना के कारण से अप्रभावित पक्ष ऐसी परिस्थितियों में उचित या आवश्यक कार्रवाई करेगा जिसमें अनुबंध के तहत कार्यों को पूरा करने के लिए उचित सीमा तक समयसीमा बढ़ाना शामिल है।

4. यदि अप्रत्याशित घटना के कारण ठेकेदार अपने दायित्वों को निभाने और अनुबंध के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में पूर्णत: या आंशिक रूप से असमर्थ है, तो परिषद को उसी नियम और शर्तों पर तत्काल प्रभाव से अनुबंध को रद्द या समाप्त करने का अधिकार होगा। । किसी भी स्थिति में, यदि ठेकेदार अप्रत्याशित घटना के परिणामस्वरूप अनुबंध के तहत अपने कार्यों को करने में पूर्णत: या आंशिक रूप से असमर्थ है, तो परिषद ठेकेदार को स्थायी रूप से असमर्थ घोषित करने पर विचार करने का अधिकार रखती है ।

(थ) <u>परिनिर्धारित क्षति और समाप्ति</u>:

क) यह सुनिश्चित करना ठेकेदार की पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी कि सेवाएं संतोषजनक रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं और स्वीकृत नियमों और शर्तों के

अनुसार अनुबंध को निष्पादित किया जा रहा है। विलम्ब या असंतोषजनक सेवाओं की स्थिति में, यह परिषद जिस सेवा में विलम्ब / लापरवाही की गई है उसके किसी भी हिस्से की कीमत के न्यूनतम 0.5% के बराबर राशि ठेकेदार से वसूल सकती है। वसूली जाने वाली अधिकतम राशि जिस सेवा में विलम्ब / लापरवाही की गई है उसके किसी भी हिस्से की कीमत के न्यूनतम 10% के बराबर राशि होगी।

ख) ठेकेदार द्वारा प्रदान की गई सेवा की गुणवत्ता अवांछित / अपर्याप्त पाए जाने वाले के मामले में, सक्षम प्राधिकारी 15 दिनों का नोटिस देने के बाद अनुबंध समझौते को समाप्त कर सकता है। उस स्थिति में सक्षम प्राधिकारी कार्य-निष्पादन गारंटी जमा को जब्त कर सकता है।

ग) निविदा दस्तावेज में उल्लिखित किसी भी नियम और शर्तों के भौतिक उल्लंघन के मामले में, सक्षम प्राधिकारी को अनुबंध को समाप्त करने, बिना कारण बताए कार्य आदेश को रद्द करने का अधिकार होगा और ऐसी स्थिति में इस परिषद द्वारा कोई भुगतान देय नहीं होगा तथा कार्य-निष्पादन गारंटी जमा राशि भी जब्त की जा सकती है।

(द) अनुबंध का समापन - ठेकेदार को अंतिम भुगतान करते समय और कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी जारी करने से पहले, सामग्री क्रय मेनुअल, 2017 के अनुबंध 21 में दिए गए प्रारूप के अनुसार ठेकेदार से "अदावा प्रमाण पत्र" लिया जा सकता है।

(सोनी दहिया)
अवर सचिव
विश्व मामलों की भारतीय परिषद
सप्रू हाउस, नई दिल्ली- 110001
दूरभाष: 23753615
ईमेल आईडी: us@icwa.in

अनुबंध I-ए

टेक प्रोफाइल

प्लेटफार्म	**तकनीकी विनिर्देश**	**अनुपालन (हाँ/ नहीं)**	**प्रमाण संलग्न (हाँ/ नहीं)**
ब्लूजींस	लाइसेंस फर्म के नाम पर है		
सिस्कोवेबेक्स	लाइसेंस फर्म के नाम पर है		
गो टू मीटिंग	लाइसेंस फर्म के नाम पर है		
उपर्युक्त निर्दिष्ट वस्तुओं के अतिरिक्त, बोलीदाता को सभी उपकरण, सामान, औजार आदि उपलब्ध कराने चाहिए ताकि बैठक / वेबिनार का संचालन किया जा सके।			

अनुलग्नक I-बी

बोलीदाता का विवरण

क्र.सं.	**ब्यौरा**	**विवरण**
1.	बोलीदाता का नाम	
2.	के रूप में निगमित (स्टेट सोल प्रोप्राइटर, साझेदारी, प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड फर्म)	
3.	निगमन वर्ष	
4.	पूरा पता	
5.	पदनाम सहित शीर्ष कार्यकारी का नाम दूरभाष मोबाइल ईमेल	
7.	जीएसटी सं.	
8.	पैन सं.	
9.	ईएमडी विवरण	

अनुबंध II
वित्तीय प्रारूप

निम्नलिखित प्रारूप में अपनी दरों का उद्धरण दें:

बैठक			
प्लेटफार्म	**कीमत**		
	प्रतिभागियों की संख्या	आधा दिन	पूरा दिन
ब्लूजींस	100 तक		
	101 से 500		
	500 से अधिक		
सिस्कोवेबेक्स	100 तक		
	101 से 500		
	500 से अधिक		
गो टू मीटिंग	100		
	500		
	1000		

वेबिनार			
प्लेटफार्म	**कीमत**		
	प्रतिभागियों की संख्या	आधा दिन	पूरा दिन
ब्लूजींस	100 तक		
	101 से 500		
	500 से अधिक		
सिस्कोवेबेक्स	100 तक		
	101 से 500		
	500 से अधिक		
गो टू मीटिंग	100		
	500		
	1000		